


482

शुभकृत मंजुलता देवी

न्यायालय में श्रीमान् आयुक्त महोदय (सिमाग शहडोल जिला शहडोल) म०प्र०



R-572-4/12

श्रीमती मंजुलता पति श्री कृष्ण दास श्रीवास्तव निवासी उमरिया थाना उमरिया तहसील बांधवगढ जिला उमरिया म०प्र० पुनरीक्षण

उजु 63 वीं केस दायित्व 27/08/14

श्री जयहरनाथ
द्वारा प्रस्तुत

बनाम

म०प्र० शासन जरिये कलेक्टर महोदय उमरिया जिला उमरिया म०प्र० ...

6/02/12

उत्तरदाता

6-2-012

पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2009 प्रकरण कमांक 52/स्वयं/पुनरीक्षण /2008-2009 न्यायालय श्री मान कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म०प्र० अंतर्गत धारा 50(2) म०प्र०भू०रा०सं०1959 के तहत

क
7/3/12 मान्यवर

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षण पेश किया जाकर विनय है कि पुनरीक्षण के आधार

यहकि पुनरीक्षणकर्ता ग्राम दुलहरी स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 14/1ख रकवा 2.000 हे० भूमि स्वामी काबिज काश्तकार है. ग्राम वासियो द्वारा मौखिक शिकायत पर हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार अभिलेखो की जांच पश्चात तहसील बांधवगढ जिला उमरिया म०प्र० के प्रकरण कमांक 04/बी-121/2005-2006 मे प्रेषित प्रतिवेदन अंतिम आर्डर सीट दिनांक 23.2.2006 के अवलोकन के बाद माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्व० पुनरीक्षण प्रकरण कायम करते हुये जबाव एवं तर्क पश्चात दिनांक 30.11.2009 को अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, जिसमे उपस्थित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जा रही है जो

Handwritten signature

Handwritten signature

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-512-दो/2012

जिला-उमरिया

मंजूलता श्रीवास्तव विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा कलेक्टर उमरिया जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 52/स्व.निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2009 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-02-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही</p>	

hri
23/01/19

3

प्रकरण क्रमांक- निग.-512-दो/2012

श्रीमती मंजूलता श्रीवास्तव विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर


पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

B


(आर.के.जेन) 23/01/19
सदस्य